न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :—श्रीनिधि बी टी, आई.ए.एस.,जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बर 33/2024 जीसीएमएस न0 2024/73

व उनवानी प्रकरण :—

1. किरनदेई पुत्री मूगाराम पत्नी मंगलसिंह जाति लोधा निवासी ग्राम फूलपुरा तहसील सैपऊ हाल नि0 ग्राम अलीगढ तहसील बाडी जिला धौलपुर।

——————————अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ जिला धौलपुर
2. जगन्नाथ
3. कप्तान
4. मुन्नालाल

| पुत्रगण मुंगाराम जातिगण लोधा निवासीगण ग्राम फूलपुरा तह0 सैपऊ जिला धौलपुर।

5. मोहनदेई पत्नी मुंगाराम
6. कमला पत्नि साहबसिंह
7. हरीओम पुत्र साहब सिंह
8. धमेन्द्र पुत्र साहब सिंह
9. भारत पुत्र साहब सिंह
10. ममता पुत्री साहब सिंह
11. नीतू पुत्री साहब सिंह

जातिगण लोधा निवासीगण ग्राम फूलपुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।

12. पंजाब नेशनल बैंक शाखा खेडा जरिये शाखा प्रबंधक।
13. बी.आर.के.जी.बी. शाखा सैपऊ जरिये शाखा प्रबंधक

——————————रेस्पोडेन्ट्स

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 434 दिनांक 22.11.2010 बाके ग्राम फूलपुरा तहसीलदार सैपऊ जिला धौलपुर।

उपस्थिति :—

1. अपीलान्ट की ओर से :— श्री योगेश शर्मा, अभिभाषक
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगा0 4 की ओर से :— योगेश दत्त शर्मा अभिभाषक

जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

निर्णय दिनांक : 20.01.2026

अपीलान्ट द्वारा यह अपील आराजी खसरा नम्बर 129, 149, 278, 322, 46, 47, 53, 55, 88, 48, 105, 140 वाके ग्राम फूलपुरा के वहिस्सानुसार अभिलिखित खातेदार काश्तगार मूंगाराम पुत्र रामसिंह जाति लोधा निवासी फूलपुरा तहसील सैपऊ थे। मूंगाराम के निधनोपरान्त मूंगाराम के प्रथम श्रेणी के वारिस एवं उत्तराधिकारी पत्नी मोहनदेई पुत्रगण जगन्नाथ, कप्तान सिंह व मुन्नालाल तथा पुत्री किरनदेई है। मूंगाराम के निधनोपरांत रेस्पोडेण्ट संख्या 2 लगायत 5 ने रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के माध्यम से उपरोक्त कृषि भूमि के सम्बध में नामान्तकरण संख्या 434 खुलवाया था जिसमे अपीलान्ट का नाम किरनदेई के स्थान पर अपीलांट की बैक पर प्रेमदेई अंकित करवा दिया है। अपीलान्ट नामान्तकरण संख्या 434 वाके ग्राम फूलपुरा आदेश तारीखी 22.11.2010 तहसीलदार सैपऊ से विक्षुब्ध होकर अपील प्रस्तुत की है। अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अपीलांट एक अशिक्षित ग्रामीण घरेलू महिला है जो अपनी ससुराल ग्राम अलीगढ तहसील बाडी जिला धौलपुर में निवास करती है। अपीलाधीन नामान्तकरण खोले जाने के समय पर भी अपीलान्ट अपील ससुराल में निवास कर रही थी। अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश अपीलान्ट की बैक पर अपीलान्ट को सूचना एवं सुनवाई का मौका दिये बिना खोला गया था जो काबिल खारिजी के है। अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश बिना किसी जांच पडताल के खोला गया है, स्व0 मूंगाराम के मात्र पांच वारिस है जो रेस्पोडेण्ट संख्या 02 लगा0 05 तथा अपीलांट है। स्व0 मूंगाराम की प्रेमदेई नाम से कोई पुत्री नहीं थी बल्कि किरनदेई जो कि अपीलांट ही है मूंगाराम की एकमात्र पुत्री है तथा अपीलांट के राशनकार्ड, आधारकार्ड, मतदान परिचय पत्र, बैंक पासबुक सभी दस्तावेजों में अपीलांट का नाम किरनदेई ही अंकित है। रेस्पोडेण्ट संख्या 2 लगा0 5 ने रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से साज कर दुर्भावानपूर्वक अपीलांट का नाम किरनदेई के स्थान पर प्रेमदेई अंकित अंकित करवाया है इसलिये अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश को निरस्त किया जाकर स्व0 मूंगाराम के समस्त वारिसानों के नाम पते की जांच किया जाकर सुनवाई का मौका दिया जाना आवश्यक है। स्व0 मूंगाराम की ग्राम नन्दपुरा में छोडी गई अन्य कृषि भूमि खसरा नम्बर 963 के सम्बध में खुले नामान्तकरण संख्या 434 दिनांक 22.11.2010 वाके ग्राम फूलपुरा में रेस्पोडेण्ट संख्या 2 लगायत 5 ने अपीलांट का नाम दुर्भावनापूर्वक किरनदेई के स्थान पर सरनदेई अंकित करवा दिया है लिहाजा अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश इस विसंगतियों एवं त्रुटियों को दृष्टिगत रखते हुये काबिल खारिजी के है। अपीलाधीन नामान्तकरण मे हुई त्रुटियों की वजह से अपीलांट अपनी निजी पारिवारिक आवश्यकताओं के लिये कृषि ऋण नहीं ले पा रही है तथा किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है इसलिये अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश निरस्त किया जाकर समुचित जांच पडताल कर नामान्तकरण आदेश पारित करने हेतु पत्रावली प्रतिपेषित की जाना आवश्यक है। अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश अभिलेख पर उपस्थित दस्तावेजी साक्ष्यों के भी सर्वथा विपरीत है तथा काबिल

जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

खारिजी के है। अपीलांट एक ग्रामीण अशिक्षित घरेलू महिला है जो कानूनी पेचिदगियों का बिल्कुल ज्ञान नहीं रखती है, किसान क्रेडिट कार्ड बनावने के लिए अपीलांट ने हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तब अपीलांट को प्रथम बार अपीलाधीन नामान्तकरण में हुई त्रुटि का ज्ञानवाद दायरी से अर्सा करीव 15 दिवस पूर्व हुआ था अपीलांट ने ज्ञान से अविलम्ब सैपऊ में सुनील कुमार परमार एडवोकेट को अपीलाधीन नामान्तकरण में दुरूस्ती कराने हेतु नियुक्त किया था। अधिवक्ता सुनील कुमार परमार ने अपीलाधीन नामान्तकरण की दुरूस्ती हेतु अपील प्रस्तुत करने की बजाय वाद पत्र धारा 88,188 उपखण्डाधिकारी सैपऊ उनवानी किरनदेई बनाम जगन्नाथ प्रस्तुत कर दिया तथा वाद पत्र एक बहुत लम्बी कार्यवाही होती है। जिसमें अपीलांट को दुरूस्ती हेतु अत्यधिक समय लगा रहा था। अपीलांट ने वर्तमान अधिवक्ता की सलाह पर अपने वाद पत्र को अनुमति के साथ दिनांक 04.09.2024 वापिस कर ज्ञान से अविलम्ब यह अपील प्रस्तुत की है जिसको अन्दर अवधि शुमार किया जाना तथा अपीलांट की कानूनी अज्ञानता को दृष्टिगत रखते हुये अपील प्रस्तुतीकरण में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाना आवश्यक है। अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या–434 दिनांक 22.11.2010 वाके ग्राम फूलपुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर को निरस्त किया जाकर तहसीलदार सैपऊ को निर्देशित किया जावे कि अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश उभ्यपक्ष की सुनवाई के पश्चात गुणावगुण पर समुचित एवं दुरूस्त रूप से निर्णीत किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्टस् को नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि उन्हें इस नोटिस के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें ।

रेस्पोडेण्ट संख्या–1 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। रेस्पोडेण्ट संख्या 02 लगा0 04 की ओर से श्री योगेशदत्त शर्मा अभिभाषक ने अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 05 लगा0 11 की तलवी हेतु रजि0 सम्मन भेजे गये रेस्पोडेण्ट संख्या 05 लगा0 11 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ इसलिए रेस्पो0 संख्या 05 लगा0 11 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 12 लगा0 13 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

रेस्पोडेण्ट संख्या–1 की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 02 लगा0 04 की ओर से उपस्थित अभिभाषक ने दौराने बहस बताया कि उनके पक्षकार की ओर से कोई सूचना नहीं होने कारण इस प्रकरण में पैरवी नहीं करना चाहते। अतः प्रकरण में एकपक्षीय बहस सुनी गई।

सर्वप्रथम म्याद के बिन्दु पर अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक को सुना गया। अपील अपीलान्ट म्याद बाहर पेश की गई है। अभिभाषक अपीलांट का कथन है, कि अपीलांट ने जानकारी के अभाव में अपीलाधीन नामान्तकरण मे दुरूस्ती कराने हेतु

जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

वाद पत्र उपखण्डाधिकारी सैपऊ में प्रस्तुत कर दिया चूंकि वाद पत्र एक बहुत लम्बी कार्यवाही होती है। जिसमें अपीलांट को दुरूस्ती हेतु अत्यधिक समय लगा। अपीलार्थी ने जानबूझकर अपील प्रस्तुत करने में कोई लापरवाही या उपेक्षा नहीं की है। अपील प्रस्तुत करने करने में हुयी देरी को क्षमा किया जावे।

हम अपील अपीलान्ट गुणावगुण के आधार पर निर्णीत किया जाना उचित समझते है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डौन किया जाता है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अकिंत तथ्यों को दोहराते हुए अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या-434 दिनांक 22.11.2010 वाके ग्राम फूलपुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर को निरस्त किया जाकर तहसीलदार सैपऊ को अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश उभ्यपक्ष की सुनवाई के पश्चात गुणावगुण पर समुचित एवं दुरूस्त रूप से निर्णीत किया जाने हेतु कथन किया।

अपीलान्ट अभिभाषक की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने के पश्चात् हम अपील अपीलान्ट न्यायहित में स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार सैंपउ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मृतक मूंगाराम पुत्र रामसिंह जाति लोधा निवासी ग्राम फूलपुरा तहसील सैंपऊ के विधिक वारिसान की उभयपक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुये विस्तृत जांच करें। यदि मूंगाराम की पुत्री का सही नाम किरनदेई होना पाया जावे तथा सरनदेई,प्रेमदेई पुत्री मूंगाराम जाति लोधा नाम की मूंगाराम की अन्य कोई वारिस होना नही पाया जावे तो अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 434 दिनांक 22.11.2010 वाके ग्राम फूलपुरा तहसील सैपऊ को निरस्त किया जाकर पुनः विधिसम्मत नामान्तरकरण खोले जाने की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सैपऊ को भिजवाई जावे। वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीनिधि बीटी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर
धौलपुर (राज.)